

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-135/14**  
**संस्थापित दिनांक-06.03.2014**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-<br>आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।<br>.....अभियोजन   |                                  |
| <b>विरुद्ध</b>  |                                  |
| 1- शाहरुख खान पुत्र बबलू उर्फ तालीब खान उम्र 22 साल<br>2- अख्तर पुत्र पप्पू उर्फ ताईव खान उम्र 22 साल<br>3- पप्पू उर्फ ताईव खान पुत्र औसाफ खान उम्र 52 साल<br>4- जमीलाबाई पत्नी औसाफ खान उम्र 70 साल<br>निवासीगण- मैदान गली तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर<br>म0प्र0<br>.....आरोपीगण |                                  |
| राज्य द्वारा  | :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। |
| आरोपीगण द्वारा  | :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।   |

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 20.01.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324(2-शीर्ष) अथवा 324/34 (2-शीर्ष), 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 16.07.2014 को समय शाम पौने 9 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत मैदान गली फरियादी के मकान के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी फरीदा बानो को अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी फरीदा बानो की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी फरीदा बानो की लोहे की छड़ से व आहत शबाना बानो की धारदार छुरी से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की अथवा सहयोग कारित किया एवं फरियादी फरीदा बानो को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 18.01.2017 फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण शाहरुख, अख्तर, पप्पू, जमीलाबाई को भा.द.वि की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03—** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी फरीदा बानो ने अपनी देवरानी शबाना बानो एवं पति मुजफ्फर के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.02.2014 को रात पौने 9 बजे की बात है कि फारुक के लडके अमन का जन्म दिन का कार्यक्रम चल रहा था और उसकी देवरानी शबाना बानो घर के बाहर खड़ी थी तभी मोहल्ले के रहने वाले शाहरुख, अख्तर, पप्पू तीनों आकर उससे बोले डी.जे. को बंद करो। जब उसने मना किया तो तीनों आरोपीगण ने उसे बुरी-बुरी अश्लील गालियां देने लगे। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो पप्पू ने उसका गला पकड़कर दवा दिया और शाहरुख ने उसे पीठ में छड़ मार दी जिससे मुंड़ी चोट आई। जब वह चिल्लाई तो उसकी देवरानी शबाना बानो उसे बचाने आई तो उनको अख्तर और जमीला ने पकड़ लिया और जमीला ने छुरी मारी बांये हाथ की कलाई में लगकर खून निकल आया फिर चारो ने उन्हें लात, घुसा से मारपीट की जिससे उन दोनों को पीठ में, कमर में, मुंड़ी चोट आई। इसके बाद उन्हें सादिक, सलमान, आमिर ने बचाया तो चारो कहने लगे आज तो बच गये आइन्दा मिले और हमारी रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05—** राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.07.2014 को समय शाम पौने 9 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत मैदान गली फरियादी के मकान के सामने सार्वजनिक स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी फरीदा बानो की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी फरीदा बानो की लोहे की छड़ से व आहत शबाना बानो की धारदार छुरी से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**06—** अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी फरीदा बानो अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह सभी आरोपीगण को जानती है। घटना आज से करीब 2-3 साल पहले की होकर रात के 9-10 बजे की है। घटना दिनांक को फारुक के लडके अमन का जन्म दिन का कार्यक्रम था। वह और उसकी देवरानी शबाना बानो घर के बाहर खड़े हुए थे। अमन के जन्म दिन पर डी.जे. बज रहा था। तभी मोहल्ले के अख्तर, शाहरुख, पप्पू तीनों आए और डी.जे. को बंद करने को कहा, तो हमने कहा कि जन्म दिन का कार्यक्रम है, इसी बात को लेकर आरोपीगण से हमारी

कहा सुनी हो गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। कहा सुनी की आवाज सुनकर मेरी देवरानी शबाना आ गई थी।

**07—** फरीदा बानो अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि शबाना के साथ भी आरोपीगण की कहा सुनी हो गई थी और धक्का मुक्की में उसे तथा उसकी देवरानी शबाना को पत्थर पर गिरने से चोट आ गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी तथा शबाना की चोटों का परीक्षण कराया था तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**08—** अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि तीनों आरोपीगण उसे बुरी बुरी अश्लील गालिया देने लगे। इस बात से इंकार किया कि उसने गाली देने से मना किया तो पप्पू ने उसका गला पकड़कर दवा दिया था। इस बात से इंकार किया कि गले में मुंदी चोट आ गई थी। इस बात से इंकार किया कि शाहरूख ने मुझे छड़ मार दी थी पीठ में लगकर मुंदी चोट आ गई थी। इस बात से इंकार किया कि उसकी देवरानी को जमीला और अख्तर ने पकड़ लिया था और जमीला ने शबाना को छुरी मार दी थी।

**09—** फरीदा बानो अ0सा01 ने इस बात से इंकार किया कि फिर चारों ने हम दोनों को लात घुसो तथा चांटे मारे थे जिससे हमारी पीठ, कमर में मुंदी चोटें आई थी। इस बात से इंकार किया कि चारों आरोपीगण कहने लगे थे कि आज तो बच गये और आइन्दा मिली और हमारी रिपोर्ट करने गई तो जान से मार देगे। साक्षी को उसका पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

**10—** शबाना अ0सा02 एवं सलमान अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उक्त दोनों साक्षीगण ने घटना के संबंध अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया तथा साक्षी शबाना अ0सा02 एवं सलमान अ0सा03 को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 4 एवं प्र.पी. 5 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उक्त साक्षीगण ने पुलिस को उक्त कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस प्रकार अभियोजन साक्षी शबाना अ0सा02 एवं सलमान अ0सा03 के कथनो से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**11—** फरीदा बानो अ0सा01 एवं शबाना अ0सा02 जोकि प्रकरण में स्वयं आहत हैं ने

अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि आरोपीगण से उनकी कहा सुनी हो गई थी, एवं धक्का मुक्की में फरीदा बानो एवं शबाना ने पत्थर पर गिरने से चोट आना व्यक्त किया। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना चंदेरी में की थी तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी शाहरुख द्वारा फरियादिया फरीदा बानो को छड़ से मारा था तथा शबाना को जमीला और अख्तर ने पकड़ लिया था और जमीला ने शबाना को छुरी मार दी थी।

**12—** उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.07.2014 को समय शाम पौने 9 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत मैदान गली फरियादी के मकान के सामने सार्वजनिक स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी फरीदा बानो की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी फरीदा बानो की लोहे की छड़ से व आहत शबाना बानो की धारदार छुरी से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः **अभियुक्तगण शाहरुख, अख्तर, पप्पू, जमीलाबाई तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0** को भा.द.वि. की धारा 324(2-शीर्ष) अथवा 324/34 (2-शीर्ष) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**13—** प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।

**14—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0